सं.प्रशा./1025/हि.क./वार्षिक कार्यक्रम/2023-24
रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (म.क)
लखनऊ छावनी
दिनांक 21 अप्रैल 2023

(वेबसाइट के माध्यम से)

परिपत्र

विषयः राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाना।

****

संघ की राजभाषा नीति के प्रचार प्रसार हेतु राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2023 – 2024 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा की नीति के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हिंदी पत्राचार हेतु 'क' से 'क' क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत, 'क' से 'ख' क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा 'क' से 'ग' क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। विस्तृत विवरण राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2023 – 2024 में समाविष्ट किया गया है। वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2023 – 2024, राजभाषा विभाग के पोर्टल से डाउनलोड कर लिया जाए।

अनुरोध है कि पूरी निष्ठा के साथ इस वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्रवाई से मुख्य कार्यालय के राजभाषा अनुभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

वरि.लेखाधिकारी (रा.भा.)

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

1. मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग
2. संगठन के सभी अधीनस्थ कार्यालय

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम
2023-24

ANNUAL PROGRAMME FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI
2023-24

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को **100%** 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को **100%** 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को **65%** 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **100%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को **90%** 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को **90%** 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को **55%** 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **90%** के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को **55%** 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को **55%** 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को **55%** 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र **55%** के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	40%	30%	20%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।